कामनवैल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसिएशन

की

उत्तराखण्ड ब्रान्च

ब्रान्च के नियम

उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय
पटल कार्यालय
विधान सभा भवन, देहरादून

कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसिएशन उत्तराखण्ड ब्रान्च की नियमावली

(जैसा कि एसोसिएशन की सामान्य सभा में स्वीकृत हुई)

नाम

1- इस संगठन का नाम कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसिएशन उत्तराखण्ड ब्रान्च होगा।

विवरण

2- कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसिएशन के संविधान के खण्ड 5 के अधीन इस संगठन को ब्रान्च के रूप में गठित किया गया है।

उद्देश्य

3- ब्रान्च ऐसे समस्त कार्य करेगा कि एसोसिएशन के उद्देश्यों की जैसा कि उसके संविधान के खण्ड 3 में दिया है, पूर्ति में सहायक या आनुषंगिक हो।

सदस्यता

4- सदस्यता की निम्नलिखित श्रेणियां होंगी :-

(क) साधारण सदस्य,
(ख) सहयुक्त सदस्य,
(ग) सहयुक्त शासकीय सदस्य,
(घ) अस्थायी अवैतनिक सदस्य,
(ङ) आजीवन सदस्य।

साधारण सदस्य

5-(1) उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल का प्रत्येक आसीन सदस्य चालू वर्ष के चन्दे का भुगतान करने पर ब्रान्च का साधारण सदस्य होने का हकदार होगा।

(2) सदस्यता ऐसे भुगतान के दिनांक से प्रारम्भ होगी और नियम 17 में यथा परिभाषित वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिनांक तक बनी रहेगी।

सहयुक्त सदस्य

6- उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल का कोई भूतपूर्व सदस्य या एसोसिएशन के किसी अन्य ब्रान्च का कोई भूतपूर्व सदस्य, जो उत्तराखण्ड में स्थायी रूप से निवास करता हो, कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से चालू वर्ष के चन्दे का भुगतान करने पर, ब्रान्च का सहयुक्त सदस्य हो सकता है।

सहयुक्त शासकीय सदस्य

7- ब्रान्च का कोई पदधारी या भूतपूर्व पदधारी या किसी अन्य ब्रान्च का कोई पदधारी या भूतपूर्व पदधारी, जो उत्तराखण्ड में स्थायी रूप से निवास करता हो या उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल का कोई पदधारी या भूतपूर्व पदधारी कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से चालू वर्ष के चन्दे का भुगतान करने पर ब्रान्च का सहयुक्त शासकीय सदस्य हो सकता है।

अस्थायी अवैतनिक सदस्य

8- एसोसिएशन के किसी अन्य ब्रान्च के किसी सदस्य को उत्तराखण्ड में आने पर, कार्यकारिणी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिये ब्रान्च का अस्थायी अवैतनिक सदस्य बनाया जा सकता है।

आजीवन सदस्य

9- (1) नियम 5 से 7 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो नियम 17 (2) में विनिर्दिष्ट आजीवन सदस्यता शुल्क का भुगतान करता है, सुसंगत श्रेणी का आजीवन सदस्य होने का हकदार होगा, बशर्ते वह ऐसी सदस्यता की अन्य शर्तें पूरी करता हो। ऐसे आजीवन सदस्य से किसी वार्षिक चन्दे का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(2) कोई साधारण आजीवन सदस्य राज्य विधान मण्डल का सदस्य न रह जाने पर, किसी अतिरिक्त चन्दे का भुगतान किये बिना सहयुक्त आजीवन सदस्य हो जायेगा।

पदाधिकारी

10- (1) ब्रान्च में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे, अर्थात् :-

(क) सभापति
(ख) उप सभापति - 3
(ग) अवैतनिक सचिव
(घ) अवैतनिक कोषाध्यक्ष

(2) सभा के अध्यक्ष पदेन सभापति होंगे, बशर्ते वे ब्रान्च के सदस्य हों।

(3) सभा के उपाध्यक्ष, सभा में सदन के नेता, सभा में विपक्ष के नेता ब्रान्च के उपसभापति होगें, बशर्ते वे ब्रान्च के सदस्य हों और सभापति की अनुपस्थिति में, वे उपर्युक्त क्रम में कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

(4) ब्रान्च के सदस्यों में से एक सदस्य को वार्षिक सामान्य बैठक में अवैतनिक कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया जायेगा। अवैतनिक कोषाध्यक्ष ब्रान्च की अगली सामान्य बैठक तक पद धारण करेगा।

(5) उप नियम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट समस्त या किसी पदधारी द्वारा ब्रान्च का पदाधिकारी बनने से इन्कार करने या सदस्य न रह जाने की दशा में कार्यकारिणी समिति उनके स्थान पर ब्रान्च के अन्य सदस्यों को तब तक के लिए पदाधिकारी निर्वाचित कर सकती है जब तक कि इन पदों के लिए इच्छुक और ऐसे पदाधिकारी होने के लिए अर्ह पदधारी उपलब्ध न हो जाय।

कार्यकारिणी समिति

11- ब्रान्च के कार्यकलापों का प्रबन्ध नियम 15 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये कार्यकारिणी समिति में निहित होगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(क) नियम 10 में निर्दिष्ट पदाधिकारी, और
(ख) सभा से सात सदस्य जिन्हें वार्षिक सामान्य बैठक में ब्रान्च के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा और जो अगली वार्षिक सामान्य बैठक तक पद धारण करेंगे।

आकस्मिक रिक्ति

12- कार्यकारिणी समिति में किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उक्त समिति के शेष सदस्यों द्वारा की जायेगी।

अवैतनिक सचिव

13- (1) सभा का सचिव ब्रान्च के अवैतनिक सचिव के रूप में कार्य करेगा।
(2) अवैतनिक सचिव ब्रान्च का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और कार्यकारिणी समिति के निदेश से वह ब्रान्च के दिन प्रतिदिन के कार्य-कलापों का प्रबन्ध करेगा।

कार्यकारिणी समिति की बैठक

14- (1) कार्यकारिणी समिति की उतनी बार बैठक होगी जितनी आवश्यक हो किन्तु 3 माह में एक बार बैठक बुलानी आवश्यक होगी।

(2) समिति के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अधियाचन पर कार्यकारिणी की बैठक बुलानी आवश्यक होगी।

(3) कार्यकारिणी समिति की प्रत्येक बैठक के लिये सात दिन की सूचना दी जायेगी और उसके साथ ऐसी बैठक में किये जाने वाले कार्य की सूची भी होगी। सभापति बिना ऐसी सूचना के कार्यकारणी समिति की कोई आपात बैठक बुला सकते हैं।

(4) कार्यकारिणी समिति की किसी बैठक की गणपूर्ति हेतु तीन सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

(5) नियम 10 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, सभापति या, उनकी अनुपस्थिति में उप सभापतियों में से एक उप सभापति या, उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित कार्यकारिणी समिति का एक सदस्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

वार्षिक सामान्य बैठक

15- (1) ब्रान्च की नीति और उसके कार्यकलापों के प्रबन्ध के लिये अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार ब्रान्च की सामान्य सभा को होगा।

(2) ब्रान्च की प्रत्येक वार्षिक सामान्य बैठक प्रति वर्ष राज्य विधान मण्डल के मानसून सत्र के प्रारम्भ के पश्चात् यथासंभव शीघ्र या ऐसे दिनांक को, जैसा कार्यकारिणी समिति निदेश दे, होगी।

(3) इस नियम के अधीन प्रत्येक बैठक के लिये पन्द्रह दिन की सूचना आवश्यक होगी।

(4) प्रत्येक वार्षिक सामान्य बैठक के लिये कार्य सूची निम्नलिखित होगी :-

(क) पिछली सामान्य बैठक के कार्यवृत्त और उससे उत्पन्न समस्त विषयों का पुष्टीकरण,
(ख) विगत वर्ष के दौरान ब्रान्च के कार्य-कलापों पर कार्यकारिणी समिति की रिपोर्ट पर विचार,

(ग) अवैतनिक कोषाध्यक्ष के लेखा परीक्षित लेखा विवरण पत्र पर विचार,
(घ) कोई अन्य कार्य जिसके सम्बन्ध में उप नियम (6) के अधीन सम्यक् सूचना दी गयी हो,
(ङ) अवैतनिक कोषाध्यक्ष का निर्वाचन,
(च) कार्यकारिणी समिति के सात सदस्यों का निर्वाचन,
(छ) अवैतनिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति।

(5) बैठक का अध्यक्ष, उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सहमति से, एसोसिएशन के कार्य कलापों से सम्बद्ध किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय को विचार-विमर्श के लिये बिना किसी सूचना के स्वीकार कर सकता है।

(6) कोई सदस्य, जो वार्षिक सामान्य बैठक द्वारा विचार किये जाने के लिये कोई मामला प्रस्तुत करना चाहता हो, ऐसे मामले की लिखित सूचना ऐसी बैठक के दिनांक से सात दिन पूर्व अवैतनिक सचिव को देगा।

(7) किसी वार्षिक सामान्य बैठक की गणपूर्ति हेतु सात सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी किन्तु किसी स्थगित सामान्य बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

(8) नियम 14 (4) के उपबन्ध किसी वार्षिक सामान्य बैठक पर यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे कार्यकारिणी समिति की बैठकों पर लागू होते हैं।

विशेष सामान्य बैठक

16-(1) ब्रान्च की कोई विशेष सामान्य बैठक कार्यकारिणी समिति द्वारा किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

(2) यदि ब्रान्च के कम से कम सात सदस्यों द्वारा किसी भी समय कोई लिखित अधियाचन, जिसमें किया जाने वाला कार्य निनिर्दिष्ट हो, प्रस्तुत किया जाय तो कार्यकारिणी समिति ऐसे अधियाचन के प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर ब्रान्च की विशेष सामान्य बैठक बुलाने के लिए बाध्य होगी।

(3) इस नियम के अधीन प्रत्येक बैठक के लिए पन्द्रह दिन की सूचना आवश्यक होगी, परन्तु कार्यकारिणी समिति अल्पकाल सूचना पर भी कोई आपात सामान्य बैठक बुला सकती है।

(4) ऐसे कार्य से जिसके लिए ऐसी बैठक बुलायी जाय, भिन्न कोई कार्य विशेष सामान्य बैठक में नहीं किया जायेगा।

(5) नियम 15 के उप नियम (7) और (8) के उपबन्ध किसी विशेष सामान्य बैठक पर यथावश्यक परिवर्तन सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी वार्षिक सामान्य बैठक पर लागू होते हैं।

वित्त

17- (1) ब्रान्च का वित्तीय वर्ष प्रति वर्ष पहली सितम्बर से प्रारम्भ होगा और आगामी वर्ष के 31 अगस्त को समाप्त होगा।

(2) ब्रान्च के सदस्यों द्वारा देय चन्दा निम्नलिखित होगा :-

(क) साधारण सदस्य-दस रूपया प्रति वर्ष,

(ख) सहयुक्त सदस्य-दस रूपया प्रति वर्ष,

(ग) सहयुक्त शासकीय सदस्य-दस रूपया प्रति वर्ष,

(घ) आजीवन सदस्य-एक सौ रूपया।

(3) ऊपर निर्दिष्ट चन्दे की दर में कार्यकारिणी समिति द्वारा समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(4) वार्षिक चन्दा प्रति वर्ष पहली सितम्बर को देय होगा, और किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अभ्यावेशित व्यक्तियों के मामले में पूरे वर्ष का चन्दा देय होगा।

(5) कोई सदस्य, जिस पर कोई चन्दा बकाया हो, सदस्यता के किसी अधिकार या विशेषाधिकार का उपभोग नहीं कर सकेगा, और उसकी सदस्यता निलम्बिंत समझी जायेगी।

(6) यदि कोई सदस्य चन्दे का भुगतान सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में नहीं करता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

अवैतनिक लेखा परीक्षक

18- अवैतनिक लेखा परीक्षक ब्रान्च का एक सदस्य होगा जिसकी नियुक्ति सामान्य वार्षिक बैठक में ऐसे व्यक्तियों में से, जो कार्यकारिणी समिति के सदस्य न हो, की जायेगी। सभा या परिषद् का कोई अधिकारी भी, जो ब्रान्च के प्रबन्ध से सम्बधित न हो, उसी तरह अवैतनिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है।

सदस्यों का विशेषाधिकार

19-(1) इस नियमावली और एसोसिएशन के संविधान के खण्ड 41 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कार्यकारिणी समिति ब्रान्च के सदस्यों को ऐसे अधिकार और विशेषाधिकार दे सकती है जिन्हें वह उचित समझे।

(2) भारत में या विदेश में एसोसिएशन के उद्देश्यों से सम्बधित किसी सम्मेलन में प्रतिनिधियों और किसी सेमिनार या भ्रमण या अन्य कार्यो के लिए सदस्य नियुक्त करने की शक्ति कार्यकारिणी समिति में निहित होगी।

(3) कोई व्यक्ति किसी सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में या किसी सेमिनार या भ्रमण के लिए सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह चालू वर्ष में तथा ऐसी नियुक्ति के वर्ष के पूर्ववर्ती सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में ब्रान्च का सदस्य न रहा हो।

मतदान

20- (1) जैसा नियम 21 में उपबन्धित है उसके सिवाय, ब्रान्च की किसी बैठक में विनिश्चय उपस्थित और मत देने के लिए हकदार सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा।

(2) प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का हक होगा, किन्तु मत के बराबर होने की स्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को भी निर्णायक मत देने का हक होगा।

नियमावली का संशोधन

21- (1) इस नियमावली का संशोधन ब्रान्च के सदस्यों की किसी सामान्य बैठक में किया जा सकता है, किन्तु कोई संशोधन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि ऐसे सदस्यों के जो उपस्थित हो और मत देने के हकदार हो, कम से कम दो तिहाई सदस्य ऐसे संशोधन के पक्ष में मत न दें।

(2) प्रत्येक ऐसे संशोधन की एक प्रति सदैव एसोसिएशन के मुख्यालय को भेजी जायेगी।

निर्वचन

22- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :-

(क) "सभा'' का तात्पर्य उत्तराखण्ड विधान सभा, देहरादून (भारत) से है,
(ख) "एसोसिएशन'' का तात्पर्य कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसिएशन से है,
(ग) "ब्रान्च'' का तात्पर्य कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसिएशन के उत्तराखण्ड ब्रान्च से है।